गोगामेड़ी हत्याकांड के आरोपी जेल में बैठकर व्यापारियों और नेताओं से मांग रहे थे फिरौती

जयपुर पुलिस ने अजमेर हाई सिक्युरिटी जेल में बंद बदमाश सुमित यादव और दो जेल कर्मचारियों समेत 11 बदमाशों को गिरफ्तार किया

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजपूत नेता सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में लिप्त बदमाश ही अजमेर हाईसिक्योरिटी जेल में बैठकर जयपुर के व्यापारियों और नेताओं को धमकी देकर फिरौती वसूलने का खेल कर रहे थे।

जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश करते हुए गोगामेडी मर्डर केस में बंद सुमित यादव, दो जेल कर्मचारियों समेत 11 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जेल में बंद बदमाशों तक जेल कर्मचारियों की मिलीभगत से मोबाइल व अन्य सामान पहुंचाया जा रहा था। धमकी के लिए जेल में बंद बदमाशों तक मोबाइल पहुंचाने और फिरौती की रकम वसूलने सहित पूरे खेल के लिए बदमाशों की एक गैंग सक्रिय थी।

जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि पिछले कई महिनों से अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बन्द विभिन्न गैंग के बदमाशों द्वारा जयपुर शहर में अवैध वसूली व एक्सटॉर्शन के लिए बार-बार लोगों को धमकी दी जा रही थी।

इसी प्रकार के एक मामले में पूर्व में हरमाड़ा थाने में धनराशि नहीं देने की वजह से एक शख्स की हत्या की साजिश भी कर ली गई थी, तब पुलिस ने हथियारों के साथ 16 बदमाशों को दबोचा था। इसके बाद भी लगातार कभी वैशालीनगर, कभी श्यामनगर सहित अन्य थाना इलाकों में विभिन्न व्यापारियों को धमकियां देकर अवैध राशि की मांग की जा रही थी। कुछ लोग एक्सटॉर्शन की राशि गोपनीय रूप से दे भी देते है।

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि धमकी देने वाले सभी लोग संगठित आपराधिक गैंग से जुड़े है। जिनके द्वारा पूर्व में भी सूखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकाण्ड को अंजाम दिया गया था। इस गैंग के नितिन फोजी, रोहित राठौड़ व सुमित यादव वगैरह अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में पहले से बंद है। इन मामलों को ध्यान में रखकर एक टीम का गठन किया गया। टीम ने 25 अप्रेल को मुखबीर से सूचना मिली थी कि विक्रम सिंह उर्फ कालू द्वारा अजमेर हाई सिक्यूरिटी जेल में बन्द आरोपितों के उपयोग के लिए मोबाइल फोन फेंके जाएंगे। इस मोबाइल से फोन कर गैंग द्वारा धमकी देकर रुपए मांगे जाएंगे। इस पर हरियाणा से आ रहे विक्रम सिंह उर्फ कालू को चित्रकूट पुलिस द्वारा दबोचा गया और आरोपित विक्रम सिंह के कब्जे से एक देशी कट्टा और दो मोबाइल जब्त किए गए। विक्रम सिंह उर्फ कालू (25) कोटपुतली का रहने वाला है। आरोपी से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलने पर टीम ने अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए चक्रव्यूह रचा। आरोपी सुमित यादव को मोबाइल पहुंचाने जा रहा था।

- जेल में बंद बदमाशों तक जेल कर्मचारी ही मिलीभगत से मोबाइल और अन्य सामान पहुंचा रहे थे, फिरौती की रकम वसूलने के लिए बदमाशों की गैंग बाहर सक्रिय थी
- बदमाशों द्वारा फिरौती मांगने के बावजूद जो लोग रकम नहीं देते, उनकी हत्या और फायरिंग की साजिश भी जेल में बैठे बदमाश रच रहे थे

मोबाइल की मदद से सुमित अपनी गैंग के सदस्यों को दिशा निर्देश देने के साथ ही व्यापारियों और अन्य को धमकी देकर एक्सटोर्शन किया जाता। गैंग के सदस्य एक्सटॉर्शन की राशि का कुछ हिस्सा जेल पहुंचा रहे थे, ताकि सुमित यादव को जेल में सारी सुख सुविधाएं मिल सके। धमकी देने के बाद रुपए नहीं देने वाले पीडित के मर्डर के लिए फायरिंग करने की प्लानिंग की जा रही थी।

मध्यप्रदेश से मंगवानी थी पिस्टल

पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम अमित कुमार ने बताया कि इस मामले में सुमित यादव समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से जीतू द्वारा हथियार उपलब्ध करवाया गया और मध्यप्रदेश सप्लाई मंगाकर और पिस्टल उपलब्ध करवाई जानी थी। रामस्वरूप उर्फ गजनी द्वारा सुमित यादव का जेल कर्मियों और जीतू से सम्पर्क करवाया गया। प्रियांशु, शाहिल व नरेश जांगिड़ को एक्सटॉर्शन की राशि को विभिन्न माध्यमों से केन्टीन की सप्लाई से जुड़े गंगाराम के मार्फत जेल में पहुंचा रहे थे।

राकेश जांगिड़ जो कैमरा रिपेयरिंग का काम करता है, के द्वारा प्रियांशु के माध्यम से कुछ धनराशि प्राप्त कर उसके बदले में ड्रील मशीन में रखकर जेल में फोन पहुंचाए गए। गैंग के सदस्यों द्वारा हत्या को अंजाम दिया जाता, उससे पूर्व ही टीम द्वारा दबोच लिया गया।

आपस में जुड़े है संगठित गैंग के तार

पुलिस उपायुक्त अमित कुमार ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि संगठित गिरोह के सदस्यों के तार आपस में जुडे हुए है। संगठित आपराधिक गैंग में गिरफ्तार आरोपित जीतराम चौधरी उर्फ जीतु व रामस्वरूप पूर्व में रामकेश मीणा हत्याकांड में केसवार रहे है। जेल में इनकी दोस्ती सुमित यादव से हो गई। वर्तमान में सुमित यादव अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है, और रामस्वरूप चौधरी अजमेर का रहने वाला हैं। रामस्वरूप व सुमित पूर्व में जयपुर जेल में बंद रहे थे। जेल में निरुद्ध गैंग के सदस्यो को लग्जरी लाइफ एवं सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए की जेल में सेटिंग कर रखी है।

इस सेटिंग में एक्सटॉर्शन से प्राप्त धनराशी का एक बडा हिस्सा काम में लिया जाता था। प्रकरण में जेल प्रहरी पवन जांगिड़ निवासी डीडवाना नागौर वर्तमान में अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में जेल प्रहरी के पद तैनात है। पवन 2018 बैच का जेल प्रहरी है। पवन अजमेर हाई सिक्यूरिटी जेल में वर्ष 2021 से तैनात है। वर्तमान में जेल में कैंटीन सहायक का काम कर रहा है। प्रकरण में अरेस्ट विक्रम सिंह निवासी नागौर मेडता सिटी उपकारागार में जेल प्रहरी है और 16 मार्च 2024 से तैनात है। इससे पहले विक्रम अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में कैंटीन सहायक के पद तैनात था।

दोनों जेल में आलीशान सुविधाएं उपलब्ध करवाने, एक्सटॉर्शन के लिए फोन उपलब्ध करवाने के सहयोग करने के षडयंत्र के हिस्सेदार रहे है। सुमित यादव, रामस्वरूप जाट उर्फ गजनी, विक्रम सिंह उर्फ कालू, जीतराम उर्फ जीतेन्द्र उर्फ जीतू के विरूद्व पूर्व में हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट, एवं आबकारी अधिनियम आदि में प्रकरण दर्ज है साथ ही जीतराम उर्फ जीतेन्द्र जिला अजमेर के गेगल थाने के प्रकरण में वाछित है।

पुलिस उपायुक्त अमित कुमार ने बताया कि इस मामले में सुमित यादव निवासी रेवाडी हरियाणा, विक्रम सिह उर्फ कालू निवासी कोटपुतली, जीतराम चौधरी उर्फ जितेन्द्र निवासी अजमेर, साहिल शर्मा निवासी भिवानी हरियाणा, राकेश जांगिड उर्फ राहुल निवासी पीपलू टोंक, गंगाराम गुर्जर निवासी धूधरा जयपुर रोड, मनोज सिंह उर्फ प्रियांशु चौधरी निवासी भरतपुर, रामस्वरूप चौधरी निवासी महावीर कॉलोनी किशनगंज अजमेर, नरेश कुमार निवासी बाडमेर, विक्रम सिंह निवासी मण्डावरा नागौर, पवन जागिड निवासी लाडपुर नागौर को गिरफ्तार किया गया।

पूर्व राजपरिवार की संपत्ति को खाली करने का आदेश

जयपुर, (का.सं.)। शहर की किराया अधिकरण अदालत क्रम-2, महानगर प्रथम ने पूर्व राजपरिवार की संपत्ति पर रह रहे परिवार को अतिक्रमी मानते हुए उसे कब्जा खाली करने को कहा है। अदालत ने संबंधित परिवार को कहा है कि वह मीन्स प्रोफिट के तौर पर 10,500 रुपए और दावा दायर करने की तिथि से कब्जा संभलवाने तक पन्द्रह सौ रुपए प्रतिमाह कर दर से वादी कंपनी को अदा करे। अदालत ने यह आदेश एसएमएस इंवेस्टमेंट कारपोरेशन प्रा.लि. की ओर से वर्ष 2004 में पेश दावे का निस्तारण करते हुए दिए।

दावे में अधिवक्ता रामजीलाल गुप्ता ने अदालत को बताया कि प्रतिवादी शेरसिंह के पिता भंवर सिंह जयपुर स्टेट के पूर्व महाराजा सर सवाई मानसिंह के यहां कार्यरत थे। सेवाकाल के दौरान उन्हें रहने के लिए रामबाग स्टाफ क्वाटर्स स्थित क्वार्टर संख्या 25 निशुल्क लाइसेंस पर रहने के लिए दिया था। भंवर सिंह के रिटायर होने के बाद उनका देहांत को गया। इस दौरान वादी ने प्रतिवादी पक्ष को कई बार कब्जा खाली करने को कहा, लेकिन उन्होंने अब तक परिसर खाली नहीं किया।

अफसर जमीनों को कौड़ियों के भाव बेचना चाहते थे : किरोड़ी

जयपुर। भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार का फैसला बदलते हुए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में फंड जुटाने के लिए सरकारी जमीन बेचने पर रोक लगा दी है। ईआरसीपी के लिए अब भजनलाल सरकार जमीन नहीं बेचेगी। बीकानेर और अलवर में ईआरसीपी के लिए बेची जाने वाली जमीनों की नीलामी रद्द कर दी गई है। ईआरसीपी कॉर्पोरेशन ने शुक्रवार को जमीनों की नीलामी रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने सीएम भजनलाल शर्मा को चिट्ठी लिखकर सरकारी जमीनों की नीलामी पर गंभीर आपत्ति जताते हुए इसे घोटाला बताया था। मंत्री किरोड़ी की चिट्ठी के बाद सरकार ने जमीन नीलामी रद्द कर दी है। गहलोत सरकार ने सरकारी जमीनें बेचकर ईआरसीपी के लिए फंड जुटाने का फैसला किया था। 15 सितंबर 2023 को गहलोत सरकार ने बीकानेर के बीछवाल और अलवर के उमरेण की सरकारी जमीन नीलाम करने का फैसला किया था। इसके लिए 3 अक्टूबर 2023 को ई-नीलामी निकाली गई थी।

- सरकारी नर्सरी की जमीन बेचने से नाराज थे किरोड़ी
- गहलोत सरकार ने जाते-जाते किया था सरकारी जमीनें बेचने का फैसला

एमएसटीसी पोर्टल के जरिए यह नीलामी करवाना तय हुआ। नीलामी की प्रक्रिया के बीच ही सरकार बदल गई तो मामला अटक गया।

राजस्थान में सरकार बदलने के बाद ईआरसीपी को केंद्र सरकार ने रिवर लिंक प्रोजेक्ट से जोड़कर इसका 90 प्रतिशत फंड देने की घोषणा कर दी। इसके लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच एमओयू हो चुका है। इस एमओयू के बाद ईआरसीपी पर अब राज्य सरकार को केवल 10 प्रतिशत बजट ही खर्च करना होगा। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल ने पिछले दिनों सीएम भजनलाल शर्मा को चिट्ठी लिखकर सरकारी जमीनों की नीलामी पर आपत्ति जताई थी। किरोड़ी का आरोप था कि गहलोत सरकार ने कौड़ियों के भाव पर सरकारी जमीनें बेचने का षड्यंत्र रचा था।

ईआरसीपी पर केंद्र पैसा दे रहा है तो अब फंड के लिए जमीन बेचने का मतलब नहीं है। गहलोत सरकार के समय अलवर के उमरेण में उद्यान विभाग की नर्सरी की जमीन बेचने का फैसला किया था। किरोड़ी सरकारी नर्सरी की जमीन बेचने की प्रक्रिया से नाराज थे, उन्होंने इसलिए सीएम को पत्र लिखा था।

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि हॉर्टिकल्चर विभाग की जमीनें अफसर मिलीभगत करके कौड़ियों के भाव बेचने जा रहे थे, उन्हें राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया है। इससे समझा जा सकता है कि सरकार कितनी संवेदनशील और पारदर्शी है। कुछ अफसरों ने मिलीभगत करके सरकार को करोड़ों का चूना लगाने का काम किया। शुक्रवार को मुख्यमंत्री के निर्देश पर उसे निरस्त कर दिया।

राज्यपाल से जूही प्रजापति ने मुलाकात की

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र से शुक्रवार को राजभवन में नेशनल ओपन कराटे चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता सुश्री जुही प्रजापति ने मुलाकात की।

जूही ने बीएसएफ ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप में 10 और 11 वर्ष के आयु वर्ग में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए डबल स्वर्ण पदक हासिल किया है। इस चैंपियनशिप में 22 राज्य से 1500 से भी अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। राज्यपाल मिश्र ने जूही प्रजापति की इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए उसकी सराहना की। उन्होंने दूसरों से भी इससे प्रेरणा लेने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि लड़कियों को यदि अवसर मिलते हैं तो वे आकाश छू सकती हैं।

16 मई से पुनः प्रारंभ होगा प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी मई-जून में 27 विभिन्न विषयों के लिए आयोजित की जाने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन एंड पीटीआई परीक्षा-2023 की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह परीक्षा 16 मई से 2 जून तक चलेगी।

आयोग सचिव ने बताया कि इन परीक्षाओं के शुचितापूर्ण आयोजन एवं डमी अभ्यर्थियों के बैठने की किसी भी सम्भावना को रोकने के लिए आयोग द्वारा इस परीक्षा से अभ्यर्थियों की हैंडराइटिंग का नमूना भी अटेंडेंस शीट पर लिया जाएगा। इसी प्रकार अटेंडेंस शीट पर अभ्यर्थी की स्पष्ट व बड़ी फोटो प्रिंट की जाएगी ताकि परीक्षा केन्द्र पर वीक्षकों द्वारा अभ्यर्थी की पहचान पूर्णतः सुनिश्चित करते हुए डमी अभ्यर्थियों को रोका जा सके। आयोग द्वारा जारी प्रवेश-पत्र के साथ अटेंडेंस शीट भी संलग्न होती है। इस शीट को परीक्षा केंद्र पर वीक्षक अभ्यर्थी की पहचान कर स्वयं के, केंद्राधीक्षक एवं अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करवाकर प्रवेश-पत्र से अलग कर केन्द्र पर जमा करते हैं। परीक्षा संपन्न होने के बाद यह अटेंडेंस शीट परीक्षा सामग्री के साथ आयोग को भेजी जाती है। परीक्षार्थी को अटेंडेंस शीट के निचले भाग में दिए गए स्थान पर अभिजागर की उपस्थिति में एक वाक्य लिखना होगा। इसके पश्चात अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर कर स्वयं के द्वारा लिखे गए वाक्य की पुष्टि करेगा।

आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि उक्त परीक्षा के तहत 27 विषयों के कुल 2033 पदों के लिए परीक्षाओं का आयोजन अजमेर एवं जयपुर जिला मुख्यालय पर निर्धारित कार्यक्रमानुसार किया जाएगा।

प्रदेश में बनेंगे चार और डेल्फिक क्लब

जयपुर, (का.सं.)। प्रदेश में कला और संस्कृति को बढावा देने के लिए डेल्फिक काउन्सिल ऑफ राजस्थान एवं चार विद्यालयों के मध्य शुक्रवार को एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। डेल्फिक काउन्सिल ऑफ राजस्थान की अध्यक्ष श्रेया गुहा ने बताया कि डेल्फिक आन्दोलन से छः डेल्फिक कलाओं (शास्त्रीय संगीत, भारतीय फ़िल्म संगीत, लोकप्रिय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, समकालीन नृत्य, फोटोग्राफी) के प्रति युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से एमओयू पर हस्ताक्षर किए गये है। इससे प्रदेश में डेल्फिक आन्दोलन को गति मिलेगी और छात्रों को कला व संस्कृति के प्रदर्शन के लिए एक मंच मिल सकेगा।

गुहा ने बताया कि डेल्फ़िक काउंसिल ऑफ़ राजस्थान भारतीय डेल्फ़िक काउंसिल और इंटरनेशनल डेल्फ़िक काउंसिल का एक हिस्सा है, जो युवाओं को अतंर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान करने कि दिशा में कार्य कर रही है, काउंसिल द्वारा इन विद्यालयों के साथ वार्षिक कैलेंडर तैयार कर डेल्फिक गेम्स का आयोजन किया जावेगा। उन्होने इसके लिए विद्यालयों स्तर पर नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में डेल्फिक काउन्सिल ऑफ राजस्थान की तरफ से काउन्सिल के महासचिव जितेन्द्र कुमार सोनी ने एवं द पैलेस स्कूल जयपुर, गवर्नमेन्ट सीनियर सैकेण्डरी स्कूल किशनगढ, दिल्ली पब्लिक स्कूल और विद्याश्रम स्कूल ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

राज्यपाल से मिले राजकुमार राव

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र से शुक्रवार को राजभवन में भारतीय फ़िल्म अभिनेता राजकुमार राव ने मुलाकात की। राज्यपाल मिश्र से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी।

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
179/2.5.2024
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4

न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय स्थान हिण्डौन सिटी श्रीमती संतोष शर्मा आदि विरूद्ध लक्ष्मीनारायण वगै. वाद/प्रार्थना पत्र T.I.प्रार्थना-पत्र संख्या C.M 02/2024 सन् नाम श्रीमती सुनीता देवी पत्नि वालकृष्ण चतुर्वेदी पता ग्राम पटोंदा त. हिण्डौन सिटी जि. करौली उक्त ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि. 23.5.2024 को 8 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा। यह आज ता. 02.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

आज्ञा से
(मुहर) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
हिण्डौन सिटी जिला करौली (राज.)

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
178/2.5.2024
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4

न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय स्थान हिण्डौन सिटी श्रीमती संतोष शर्मा आदि विरूद्ध लक्ष्मीनारायण वगै. वाद/प्रार्थना पत्र T.I.प्रार्थना-पत्र संख्या C.M 02/2024 सन् नाम बालकृष्ण चतुर्वेदी पुत्र लक्ष्मीनारायण चतुर्वेदी पता ग्राम पटोंदा त. हिण्डौन सिटी जि. करौली उक्त ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि. 23.5.2024 को 8 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा। यह आज ता. 02.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

आज्ञा से
(मुहर) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
हिण्डौन सिटी जिला करौली (राज.)

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

खोया पाया

मेरे मकान 11/830 मालवीय नगर जयपुर के मूल दस्तावेज मुख्यत्यारनामा दिनांक 13.07.1994 माया देवी के नाम से है सैक्टर-11 मालवीय नगर जयपुर में कहीं गिर गया है। मिलने पर सूचित करें-आशा देवी-9509421073

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश-5 के नियम-1 और 5)
न्यायालय-
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय
स्थान-हिण्डौन सिटी

न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय स्थान हिण्डौन सिटी श्रीमती संतोष शर्मा आदि विरूद्ध लक्ष्मीनारायण वगै. वाद बावत दावा वाद सं. 03/2024

बनाम बालकृष्ण चतुर्वेदी पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण स्थान पटोदा त. हिण्डौन सिटी जि. करौली ने आपके विरूद्ध वसूली के लिए वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीखी-23 माह-05 सन्-2024 को दिन में 8 A.M बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके। जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करेत है तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यह वाद ता. 02 माह 05 सन् 2024 को हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। आज्ञा से

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
(मुहर) हिण्डौन सिटी जिला करौली (राज.)

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश-5 के नियम-1 और 5)
न्यायालय-
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय
स्थान-हिण्डौन सिटी

न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय स्थान हिण्डौन सिटी श्रीमती संतोष शर्मा आदि विरूद्ध लक्ष्मीनारायण वगै. वाद बावत दावा वाद सं. 03/2024

बनाम श्रीमती सुनीता देवी पत्नि बालकृष्ण चतुर्वेदी जाति ब्राह्मण स्थान पटोदा त. हिण्डौन सिटी जि. करौली ने आपके विरूद्ध वसूली के लिए वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीखी-23 माह-05 सन्-2024 को दिन में 8 A.M बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके। जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करेत है तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यह वाद ता. 02 माह 05 सन् 2024 को हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। आज्ञा से

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
(मुहर) हिण्डौन सिटी जिला करौली (राज.)

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 36/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि प्रार्थी श्री जगदीश प्रसाद सैनी पुत्र श्री मोहन लाल सैनी निवासी शाहजी का बाग, मिलिट्री अस्पताल के पीछे, तहसील अलवर, जिला अलवर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 47(1) के अन्तर्गत प्रन्यास श्री महावीर बाबा मंदिर, जयपल्टन रोड, लाल डिग्गी, अलवर के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 26.04.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 03.07.2024
(मोहर अदालत) सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग, जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 36/2024
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री रामरतन वैद ने प्रन्यास श्री रामकृष्ण आयुर्वेदिक औषधालय परमार्थी ट्रस्ट, झोटवाडा जयपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 6 जयपुर 1986 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत न्यास की बैठक कर प्रन्यास के सदस्यों द्वारा त्याग पत्र/स्वर्गवास/निष्कासन के कारण रिक्त पदो पर नवीन प्रन्यासियों/पदाधिकारियों की नियुक्ति कर नवीन प्रन्यासियों/पदाधिकारियों के नाम कार्यालय रिकार्ड में दर्ज अभिलेख कराने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुये परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 01.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 05.06.2024
आकाश रंजन (आर.ए.एस.)
(मोहर अदालत) सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

कार्यालय नगर पालिका पावटा-प्रागपुरा (कोटपूतली-बहरोड़)
नवोदय स्कुल के पास पावटा-303106 राज.
फोन-01421-294619, Email: Nagarpalikapaotappragpura@gmail.com, Website: www.Paotapragpura.com
क्रमांक-न.पा.पाव.प्रा./2024-25/216 दिनांक-01.05.2024

आपत्ती आमंत्रण सूचना

निम्न आवेदकों ने नगरपालिका कार्यालय में मिश्रित भवन निर्माण स्वीकृति पत्रावली पालिका कार्यालय में प्रस्तुत की है उक्त पत्रावलियों में किसी को कोई आपत्ति हो तो 07 कार्य दिवस में नगरपालिका कार्यालय में आपत्ती प्रस्तुत करें अन्यथा पत्रावलयों पे अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

क्र.सं.	आवेदक का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूखण्ड के पडोस की सीमाओं का विवरण			
				उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
1	श्री अमित, सुमित गोयल पुत्र श्री रविशंकर गोयल	1779 पावटा	83.56	रास्ता	निरंजन अग्रवसल की भूमि व दुकान	सतीश वायसराय का मकान	रास्ता

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका पावटा-प्रागपुरा

RAM KRISHNAN COLLEGE OF EDUCATION
Naila, Near Kanota, Agra Road, Jaipur
REQUIREMENT OF
B.ED. 2 YEAR COURSES
▪ PRINCIPAL-01
▪ LECTURER -15
Qualification as per NCTE, UGC, UOR
Subject- Hindi, English, Sanskrit, History, Civics, Economics, Geography, Social Study, Home Science, Chemistry, Maths, Biology, Physics, Commerce, Music, Fine Art, Physical Education
Apply within 3 days
E-Mail: svspeducation@gmail.com
Contact No. 0141-2220999, 9001009456

राजस्थान आवासन मंडल वृत्त-तृतीय
जे.एल.एन मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर 0141-4901853
क्रमांक: 1476 आम जाहिर सूचना दिनांक 18.03.2024

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या-3/204 मालवीय नगर, जयपुर, क्षेत्रफल 90.00 वर्ग मीटर का नियमितिकरण एवं आवंटन आदेश पत्र क्रमांक 4404 दिनांक 06/02/1995 श्रीमती देवकी के पक्ष जारी किया गया था। श्रीमती देवकी पत्नी श्री भगवान दास के द्वारा उक्त आवास के पंजीयन पत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 14/02/1995 को करवाया गया। तत्पश्चात श्रीमती देवकी पत्नी श्री भगवान दास के द्वारा उक्त आवास का बेचान जरीये विक्रय पत्र के श्री उमेश कुमार सचदेवा पुत्र श्री भगवान दास सचदेवा को कर दिया गया। उक्त विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 16/03/2000 को करवाया गया। श्री उमेश कुमार सचदेवा पुत्र श्री भगवान दास सचदेवा के द्वारा आवास का मूल आवंटी के नाम पंजीयन हो जाने के बाद पश्चातवर्ती अंतिम क्रेताकेती का नाम मण्डल अभिलेख में दर्ज करने बाबत निवेदन किया गया है। अतः नाम दर्ज के संबंध में किसी भी व्यक्ति/ बैंक/ संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्री उमेश कुमार सचदेवा पुत्र श्री भगवान दास सचदेवा का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर दिया जायेगा। संपदा प्रबंधक, वृत्त तृतीय, राज. आ. मण्डल, जयपुर

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम बंशी लाल (Bansi Lal) से बदलकर बंशी लाल यादव (Bansi Lal Yadav) रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाये। पता- 84, डाक कॉलोनी, मालवीय नगर, जयपुर (राज.)। बंशी लाल यादव, पूर्व एम.टी.एस., 84, डाक कॉलोनी, मालवीय नगर, जयपुर (राज.) 302017

मैंने अपना नाम और जन्मतिथि बदलकर सीमा शर्मा से सीमा रख लिया है और जन्मतिथि 10 जनवरी 1986 से 10 जनवरी 1985 पत्नी संख्या जेसी-877154-एन रैंक नायब सूबेदार नाम रवि दत्त शर्मा 186/71 एफडी रेजिमेंट, निवासी गांव तलवाना, डाकघर तलवाना तहसील, नीमराणा, जिला। अलवर (राज.) भविष्य के सभी उद्देश्यों के लिए।

Remembering & Missing you on your
Centenary Birthday

RAGHU SINHA
05.05.1924 - 22.05.2005
You touched innumerable lives
with magnanimous compassion for Humanity
17th Raghu Sinha Smirti Samaroh, 2024
Entry by Invite only
4th May, 2024
Pandit Hari Prasad Chaurasia
Birla Auditorium at 7:30 PM
Shruti Mandal
Raghu Sinha Mala Mathur Charity Trust.